Legal Express: An International Journal of Law **ISSN 2394-465X**
Vol. VII, Issue-I March 2021

मीडिया के कार्यक्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी व चुनौतियां

डॉ. दुर्गावती*

आज के युग में मीडिया का चलन जितनी तेजी से बढा है। वहीं एक समय ऐसा रहा है, जब बहुत कम लोग ही इस क्षेत्र को रोजगार के तौर पर अपनाते थे। खासकर महिलाओं का योगदान मीडिया क्षेत्र में न के बराबर था। लेकिन समय परिवर्तन के साथ लोगों का रुझान खासकर महिलाओं का रुझान इस ओर काफी बढा है। आज जनसंचार व पत्रकारिता के कोर्सेस में अच्छी खासी तादाद महिलाओं की देखी जा सकती है।

मीडिया के रुप में प्रिंट मीडिया, टेलीविजन, रेडियो, सोशल मीडिया, इंटरनेट, आदि जनसंचार के माध्यम है-

समाचार पत्र जो कि दैनिक रुप से दिन भर की खबरें व सूचनायें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक इसी तरह साप्ताहिकी पत्र- पत्रिकायें भी छापी जाती है। जो लोगों को पूरे सप्ताह की खबरें व मनोरंजन, फिल्म्स से जुड़ी खबरें लोगों तक पहुंचायी जाती है व खबरें प्रकाशित करन के लिये पत्रकारों व अन्य लोग जो इस कार्य से जुड़े होते हैं। उनको सूचनाएं एकत्रित करने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खासकर महिलाओं को रात्रि में भी काम करना पड़ जाता है या किसी भी समय घटनास्थल पर जाना पड़ जाता है जिसमें खतरा भी होता है।

टेलीविजन व रेडियो का क्षेत्र भी व्यापक पैमाने पर जनसंचार के लिये मीडिया का साधन है जिसके द्वारा लोगों तक देश-विदेश की खबरें, फिल्म, समाचार, नाटक, खेल आदि से सम्बन्धित सूचनाओं का जरिया है। रेडियो भी एक माध्यम है जो कि सूचनाओं का प्रचार प्रसार गांव शहर हर तरह के लोगों तक अपनी बात पहुंचाता है।

सोशल मीडिया मोबाइल व वेब पर आधारित सूचनाओं के प्रचार- प्रसार का साधन है। आज सोशल मीडिया का काफी प्रभाव लोगों पर देखा जा सकता है। आज मोबाइल का जमाना है लोग वेबसाइट के द्वारा एवं फेसबुक, व्हाट्सएप, यू-ट्यूब द्वारा लोगों से जुड़ हुए हैं लेकिन आज इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। जिसका उदाहरण ऑनलाइन शापिंग, फेक वीडियो, अश्लील वीडियो आदि के रुप में लोगों तक गलत सूचनाएं भी भेजी जाती हैं। कई तरह के अश्लील वीडियो का वायरल होना या अन्य किसी तरह की घटनाएं सामने आयी हैं।

सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम की सूचना के माध्यम से मतलब मोबाइल फोन या, किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत डिजिटल माध्यम या फिर दोनों हो सकते हैं, जिनके माध्यम से किसी भी तरह की आडियो, वीडियो, लिखित सामग्री या तस्वीरों को प्रचारित व प्रसारित की जाती हैं। धारा 67 में आपत्तिजनक सूचनाओं के प्रकाशन से जुड़े प्रावधान दिये गये है। धारा 67 ए इलेक्ट्रोनिक माध्यमों से सेक्स या अश्लील सूचनाओं को

* अतिथि शिक्षक (विधि विभाग) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, म.प्र.

प्रकाशित या प्रसारित करने के संबंध में दंड की व्यवस्था दी गई है। 66 ई स्पष्ट सहमति के बिना किसी भी व्यक्ति के निजी क्षणों की तस्वीर को खींचने, प्रकाशित करने या प्रसारित करने से मना करता है।

आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 की धारा 354 सी जिसे वायरिज्म सेक्शन के रुप में जाना जाता है। किसी महिला की निजी तस्वीरें को कैप्चर या शेयर करना अपराध की श्रेणी में आता है।

वर्तमान में जब महिलाऐं घरों से बाहर निकलकर काम कर रही है तो सक्षमता सशक्तिकरण तो आता ही है लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ गलत होने का भी डर होता है जैसेः- यौन संबंधी टिप्पणी, बलात्कार, छेड़खानी, या किसी अन्य तरह की अश्लीलता आदि से निपटने के लिए। कार्य स्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की व्यवस्था की गई है।

आज मीडिया में महिलाएं रिपोर्टर, संपादक, न्यूज एंकर, प्रोड्यूसर फोटोग्राफर, आदि पदों पर पदस्थ होकर काम कर रहीं हैं लेकिन फिर भी कहीं न कहीं महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम आंकने वालों की कमी नहीं है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि यदि महिलाएं शादीशुदा है तो कार्यक्षेत्र में ज्यादा समय नहीं दे पाएंगी। इसके चलते कई बार उन्हें या तो नौकरी नहीं मिलती या निकाल दिया जाता है।

कुछ समय पहले मीटू आंदोलन चला था, जिसमें महिलाएं खुलकर सामने आयी व उन्होनें अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न, शोषण व बलात्कार के खिलाफ आंदोलन किया। इस आंदोलन के द्वारा वर्कप्लेस पर यौन उत्पीड़न की कई घटनाएं सामने आयी।

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 समान कार्य के लिए पुरुष और महिला श्रमिक दोनों को समान पारिश्रमिक से भुगतान का प्रावधान करता है। यह भर्ती और सेवा शर्तों में महिलाओं के खिलाफ लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकता है लेकिन समान वेतन के अधिकारों का भी हनन होता है।

महिलाऐं पूरे साहस व कार्यकुशलता के साथ इस पेशे को अपना कर आगे बढी है, लेकिन मीडिया का कार्य 24 घंटे में किसी भी समय का कार्य हो सकता है जैसे किसी भी समय की घटना को कवर करना आदि, मीडिया के क्षेत्र में कार्यरत व उंचे पदों पर आसीन लोगों में कई लोग जो कि श्वेतपोश अपराधों से जुडे हुए है। भ्रष्टाचार में लिप्त है जिनकी पहुंच बहुत उंचाई तक है। इस स्थिति में अगर महिलाओं के साथ अभद्रता करने वाले, कार्यक्षेत्र पर अश्लील हरकतें, इव टीजिंग, यौन हिंसा जैसी बातें आम बात है।

हमारे संविधान ने प्रत्येक व्यक्ति चाहे पुरुष हो या महिला सभी को समानता का अधिकार दिया है एवं प्रत्येक व्यक्ति को वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है चाहे वह महिला हो या पुरुष हो। समाज के दबे- कुचले गरीब, असहाय व शोषित वर्गों की आवाज मीडिया के द्वारा ही जन-जन तक पहुंचायी जा सकती है।

अंततः यह कहा जा सकता है, कि मीडिया सबसे अच्छा जनसंचार का माध्यम लेकिन उसके सही व उचित प्रयोग के द्वारा उपयोग हो तो सभी के लिए अच्छा साधन होगा अन्यथा दुष्परिणाम भी सामने आते है।

अच्छाई के नजरिये से देखा जाए तो आज एक जगह से दूसरी जगह के लोगों से वार्तालाप, वीडियोकोल, आादि जितना आसान हो चुका है। जिसकी कभी कल्पना की जाती होगी, वो आज सच के रुप में सामने है। यह मीडिया के द्वारा ही संभव हो पाया है। मीडिया में महिलाओं की भागीदारी ने देश-विदेश में अपना वर्चस्व स्थापित किया है। लेकिन आज भी महिलाओं को अक्सर असुरक्षा व लैंगिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

महिलाओं ने शिक्षा, राजनीति, विज्ञान, फिल्म जगत के क्षेत्र में अपना परचम लहराया है। आज महिलाओं ने मीडिया जगत में भी अलग पहचान बनाई है जिसका उदाहरण स्व. गौरी लंकेश, नीरजा चैधरी, अनु आनंद अनुराधा प्रसाद, रितु धवन, कली पुरी, नविका कुमार व फिल्म जगत से जुड़ी कई अभिनेत्री इत्यादि प्रसिद्ध महिलायें हैं।